

डा० प्रभात कुमार, आई० ए० एस० (से० नि०)

प्रादेशिक मुख्यायुक्त

भारत स्काउट्स एण्ड गाइड्स, उ० प्र०

पत्रांक एस.जी.०१८/१६११/२०२६-२७

दिनांक १२/१०/२०२६.....

सेवा में,

१. समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक
 २. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
- उत्तर प्रदेश।

विषय:- "हिंदुस्तान स्काउट एण्ड गाइड एसोसिएशन" नामक अनधिकृत संस्था द्वारा निर्गत पत्रों का संज्ञान न लेने तथा भ्रामक सूचनाओं के संबंध में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक हिंदुस्तान स्काउट एण्ड गाइड एसोसिएशन के सचिव द्वारा निर्गत पत्र(छाया प्रति संलग्न) के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि "हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड एसोसिएशन" नामक संस्था द्वारा विद्यालयों को पत्र भेजकर स्काउट-गाइड गतिविधियों एवं प्रशिक्षण शिविरों के संबंध में सूचनाएँ प्रसारित की जा रही हैं। यह संस्था अनधिकृत एवं अमान्य है। इसका भारत स्काउट एवं गाइड्स से कोई संबंध या संबद्धता नहीं है, और न ही इसे शिक्षा विभाग से कोई मान्यता प्राप्त है।

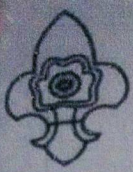
- (२) साथ ही, इन पत्रों में उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के शीतलाखेत में स्थित प्रशिक्षण केंद्र को अपना बताकर भ्रम फैलाया जा रहा है। वास्तविकता यह है कि यह प्रशिक्षण केंद्र भारत स्काउट्स एवं गाइड्स, उत्तर प्रदेश का है। यहाँ विगत अनेक वर्षों से स्काउट-गाइड प्रशिक्षण एवं गतिविधियाँ नियमित रूप से संचालित हो रही हैं, और साहसिक (एडवेंचर) गतिविधियों के अनेक बेस भी विकसित किए गए हैं।
- (३) इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश के निदेशक द्वारा भी उक्त संस्था की गतिविधियों को रोकने हेतु पत्र पत्रांक सं०- सी.जी.-(११)/०५/२०१५-१६ दिनांक १४/०५/२०१५, निर्गत किया जा चुका है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है।
- (४) भारत स्काउट्स एण्ड गाइड्स, उ० प्र० संस्था ही एक मात्र संस्था है, जो उत्तर प्रदेश में स्काउटिंग/गाइडिंग गतिविधियों को संचालित करने के लिए अधिकृत है।

अतः आपसे अनुरोध है कि "हिंदुस्तान स्काउट एण्ड गाइड एसोसिएशन" द्वारा निर्गत किसी भी पत्र, सूचना या आमंत्रण का संज्ञान न लिया जाए। इस सम्बन्ध में अधीनस्थ समस्त विद्यालयों को निर्देशित किया जाए कि विद्यालयों में संचालित होने वाली स्काउटिंग/गाइडिंग की समस्त गतिविधियाँ/प्रशिक्षण कार्यक्रम भारत स्काउट्स एण्ड गाइड्स, उ० प्र० द्वारा ही संचालित कराये जायें, ताकि छात्र-छात्राएँ और शिक्षक भ्रमित न हों और उन्हें किसी प्रकार की शुल्क सम्बन्धी आर्थिक हानि न उठानी पड़े। स्काउट-गाइड संबंधी समस्त गतिविधियाँ केवल भारत स्काउट एवं गाइड्स, उ० प्र० के माध्यम से ही संपादित कराई जाएँ।

संलग्नक: उक्तवत्।

भवदीय

(डॉ० प्रभात कुमार)
प्रादेशिक मुख्यायुक्त

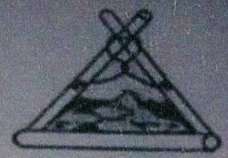


उ०प्र० भारत स्काउट और गाइड

प्रादेशिक मुख्यालय, गोल मार्केट, महानगर, लखनऊ

E-mail upscoutsguides@yahoo.com.

पत्रांक सं- सी.जी- (11)/ ०५ / 2015-16



Phone-0522-2332928

दिनांक- 14/05/2015

प्रेषक,

प्रादेशिक मुख्यायुक्त,

उ०प्र० भारत स्काउट और गाइड

एवं,

शिक्षा निदेशक (मा०) उ०प्र०।

सेवा में,

1-समस्त संयुक्त शिक्षा निदेशक, उ०प्र०।

2-समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उ०प्र०।

विषय:- अनधिकृत संस्था "हिन्दुस्तान स्काउट/गाइड एसोसिएशन" द्वारा किए जा रहे स्काउटिंग/गाइडिंग के क्रियाकलापों पर रोक लगाये जाने के संबंध में।

महोदय,

यह सज्जान में आया है कि "हिन्दुस्तान स्काउट/गाइड एसोसिएशन" से जुड़े व्यक्तियों द्वारा प्रदेश के कतिपय महाविद्यालयों, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों, एवं स्कूलों में स्काउट/गाइड का प्रशिक्षण देकर फर्जी प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं और धन की वसूली की जा रही है। अतः "हिन्दुस्तान स्काउट/गाइड एसोसिएशन" की अनधिकृत गतिविधियों पर तत्काल रोक लगाये जाने की आवश्यकता है।

उक्त के अनुक्रम में अवगत कराना है कि "World Organisation of Scout Movement" के सेक्रेटरी जनरल श्री जैकस मोरिलॉन द्वारा मई 2001 को ही "Secretary, Ministry of Youth Affairs & Support Govt. of India." को प्रेषित पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख कर दिया गया था कि भारत स्काउट / गाइड संगठन के अतिरिक्त कोई भी संगठन जो विश्व स्काउट से सम्बद्ध नहीं है, स्काउट या गाइड शब्दों को अपनी संस्था के नाम से जोड़कर स्काउट एम्ब्लम का प्रयोग नहीं कर सकता। इस अनुक्रम में आपको यह भी अवगत कराना है कि माननीय उच्च न्यायालय ने उस समय दिनांक 29.03.2001 के अपने निर्णय द्वारा इस संगठन को मान्यता प्रदान करने की कार्यवाही पर भी रोक लगा दी थी।

इस प्रकार "हिन्दुस्तान स्काउट/गाइड एसोसिएशन" द्वारा स्काउट एवं गाइड शब्दों को अपनी संस्था के नाम के साथ जोड़ना एवं स्काउट एम्ब्लम का प्रयोग करना अनधिकृत एवं अवैध है। इस अनधिकृत संस्था द्वारा दिया गया प्रशिक्षण अवैध है और इनके द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्रों की मान्यता किसी भी स्तर पर नहीं है।

उ०प्र० भारत स्काउट/गाइड संस्था जो राष्ट्रीय मुख्यालय, भारत स्काउट/गाइड नई दिल्ली से सम्बद्ध है, प्रदेश में एकमात्र अधिकृत संस्था है जिसे उ०प्र० शासन द्वारा रुपये 25 लाख का वार्षिक अनुदान दिया जा रहा है। प्रदेश शासन ने 1976 से उ०प्र० भारत स्काउट/गाइड संस्था के द्वारा स्कूलों में स्काउटिंग/गाइडिंग का प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से लागू किया है।

...2/- P.T.O.

आपसे अनुरोध है कि शिक्षा विभाग के अपने समस्त अधीनस्थ अधिकारियों, महाविद्यालयों एवं प्रशिक्षण संस्थानों के प्राचार्यों को अपने स्तर से प्रभावी निर्देश देने का कष्ट करें कि प्रदेश में उ०प्र० भारत स्काउट / गाइड संस्था जिसका प्रादेशिक प्रधान केन्द्र, गोल मार्केट, महानगर, लखनऊ में स्थित है, के अधिकृत प्रशिक्षकों द्वारा ही प्रशिक्षण कराया जायें और प्रशिक्षण संबंधी किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए प्रादेशिक सचिव, उ०प्र० भारत स्काउट और गाइड, प्रादेशिक मुख्यालय, गोल मार्केट, महानगर, लखनऊ से पत्र व्यवहार किया जायें।

भवदीय,

Sh. S. S.

(डॉ० अवध नरेश शर्मा)
प्रादेशिक मुख्यायुक्त
उ०प्र० भारत स्काउट और गाइड
एवं,
शिक्षा निदेशक (मा०) उ०प्र०।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

- 1—निदेशक, (उच्च शिक्षा) शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।
- 2—शिक्षा निदेशक (बेसिक) निशातगंज, लखनऊ।
- 3—निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, निशातगंज, लखनऊ।
- 4—प्रादेशिक आयुक्त (स्काउट / गाइड) उ०प्र० भारत स्काउट और गाइड की सेवा में सादर सूचनार्थ।
- 5—प्रादेशिक सचिव, उ०प्र० भारत स्काउट और गाइड।
- 6—समस्त उप शिक्षा निदेशक (मा०) उ०प्र०।
- 7—समस्त सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ०प्र०।
- 8—समस्त प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ०प्र०।
- 9—प्रादेशिक संगठन / प्रशिक्षण आयुक्त (स्काउट / गाइड), उ०प्र० भारत स्काउट और गाइड।
- 10—समस्त सहायक प्रादेशिक संगठन कमिश्नर (स्काउट / गाइड)।
- 11—समस्त जिला मुख्यायुक्त, उ०प्र० भारत स्काउट और गाइड।
- 12—समस्त जिला सचिव, उ०प्र० भारत स्काउट और गाइड।

Sh. S. S.

(डॉ० अवध नरेश शर्मा)
प्रादेशिक मुख्यायुक्त
उ०प्र० भारत स्काउट और गाइड
एवं,
शिक्षा निदेशक (मा०) उ०प्र०।



हिन्दुस्तान स्काउट्स एण्ड गाइड्स एसोसिएशन (उ.प्र.)

HINDUSTAN SCOUTS & GUIDES ASSOCIATION (U.P.)



Recognized by Ministry of Youth Affairs & Sports Govt. of India &
Full Member of WFIS, Germany
State Head Quarter (UP) : 403, 3rd Floor, Prime Plaza, Munshipulia, Lucknow-226016
State Camp Office (UP) : GKIC Campus, Rampur Maniharan, Saharanpur - 247451

Ref No. HSG / UP / 2026 / 10 / 71

Date 03.10.2026

जिला विद्यालय निरीक्षक

हापुड़ 09/10/26

सेवा में

- संयुक्त जिला विद्यालय निरीक्षक उत्तर प्रदेश।
- संयुक्त वैश्विक शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश।

विषय - हिन्दुस्तान स्काउट एवं गाइड एसोसिएशन राज्य इकाई उत्तर प्रदेश द्वारा वैश्विक, एडवांस, रिफ्रेश स्काउट मास्टर/ गाइड कैप्टन कोर्स में प्रतिभागिता के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदय,

आपको सादर अवगत कराना है कि हिन्दुस्तान स्काउट एवं गाइड एसोसिएशन को उत्तर प्रदेश में विस्तार हेतु हिन्दुस्तान स्काउट एवं गाइड एसोसिएशन राज्य इकाई उत्तर प्रदेश के द्वारा दिनांक 31.10.2026 से 04.11.2026 तक शीतलघोष, अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड पर हिन्दुस्तान स्काउट एवं गाइड एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में वैश्विक एडवांस रिफ्रेश कोर्स का आयोजन होना सुनिश्चित हुआ है।

प्रशिक्षण, भोजन एवं आवास शुल्क निम्न है -

- वैश्विक एडवांस स्काउट मास्टर/ गाइड कैप्टन - Rs 3500 तीन हजार पांच सौ मात्र।
- रिफ्रेश कोर्स - Rs. 3000 तीन हजार रुपये मात्र।

प्रशिक्षण शिविर में शामिल होने के लिए Rs.500 प्रशिक्षण शिविर से 10दिन पूर्व जिला संगठन के माध्यम से जमा करना होगा।

आवश्यक सामग्री - प्रतिभागी को कॉपी, पेन, पेसिल, चाटो पेपर, सूत की रस्सी, मौसम के अनुसार गन्ने/छोटे (कम्बल) कपड़े, दो मेट वटी एवं अन्य दैनिक उपयोग की वस्तु अपने साथ लाना होगा।

अतः आपसे सादर निवेदन है कि अपने जनपद के अधीनस्थ समस्त विद्यालय के स्काउट मास्टर/ गाइड कैप्टन जो हिन्दुस्तान स्काउट एवं गाइड के उक्त प्रशिक्षण शिविर को करने के इच्छुक हैं, उनको अवश्यक निर्देश देते हुए प्रशिक्षण अर्थात् के लिए कार्य मुकत करने की कृपा करें।

भवदीय

विवेक भागवत

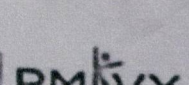
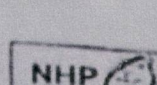
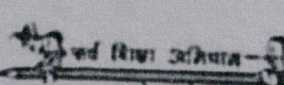
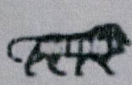
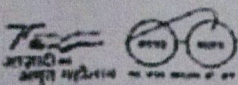
सचिव उत्तर प्रदेश

हिन्दुस्तान स्काउट एवं गाइड एसोसिएशन

प्रतिलिपि आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -



राज्य प्रशिक्षण आयुक्त
उ०प्र०



National Head Quarters: C-5/19, Sector -5, Rohini, New Delhi-110085